“ मैं कमोडिटी वायदा में डब्बा कारोबार से दूर रहता हूं”

डब्बा (एक्सचेंज से बाहर) कारोबार जोखिम भरे और गैर-कानूनी होते हैं ।

- डब्बा कारोबार या एफएमसी-विनियमित एक्सचेंजों से बाहर हुए कमोडिटी वायदा के सौदे फॉरवर्ड कांट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए), 1952 के तहत गैर कानूनी है।
- डब्बा कारोबार हमेशा जोखिम भरे होते हैं क्योंकि यहां कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंजों पर किए गए सौदों की तरह दूसरी पार्टी द्वारा डिफाल्ट की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती।

मैं अपने सभी कमोडिटी वायदा सौदों के रेकार्ड देखता हूं और उसकी जांच करता हूं

- मैं अपने सौदों से संबंधित सारे रेकार्ड (कांट्रैक्ट्स नोट्स आदि) रखता हूं
- मैं इन सौदों की विश्वसनीयता एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत आंकड़ों से जांचता हूं। ये आंकड़े सौदे की तारीख से पांच दिन तक उपलब्ध रहते हैं।

डब्बा कारोबार के विवाद कमोडिटी एक्सचेंजों में नहीं सुलझाए जा सकते

- डब्बा सौदों के विवादों के निपटारे के लिए पुलिस में ही शिकायत की जा सकती है।
- कमोडिटी वायदा एक्सचेंजों के सौदों का विवाद आर्बिट्रेशन के जरिए एक्सचेंज के कानून एवं नियमन के अंतर्गत निपटाया जा सकता है

सुरक्षित व्यापार: शांतिपूर्वक व्यापार

केवल कमोडिटी एक्सचेंजों में सौदा करें

जनहित में जारी:

Forward Markets Commission

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामलातों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलात विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
वेबसाइट: www.fcamin.nic.in

यदि आपको कोई भी गैर-कानूनी फ्यूचर्स मार्केट की गतिविधियों का पता चलता है तो तुरंत रिपोर्ट करें:

वायदा बाजार आयोग, एवरेस्ट, तिसरा माला, 100, मरीन ड्राइव, मुंबई-400 002
टेली: 022 227 953 00 फैक्स: 022-2281 2086 ई-मेल: contact.fmc@nic.in

कमोडिटी वायदा बाजार यानि फ्यूचर्स मार्केट में निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं

JAGO GRAHAK JAGO

जोखिम कमोडिटी मार्केट में निवेश का एक अहम भाग है और इस बाजार से रिटर्न सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

ऐसे सभी प्रचार योजनाओं, विज्ञापनों, लेखों तथा परिचर्चाओं से सावधान रहें, जो कमोडिटी वायदा बाजार में आपके निवेश पर ऊंचे प्रतिलाभ और गारंटी का भरोसा दिलाते हैं

जिस कमोडिटी में आप निवेश कर रहे हैं, उसके हाजिर बाजारों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है जिससे कि आप निवेश के बारे में सही फैसला ले सकें

अफवाहों और मूल्य टिप्स से दूर रहें। सही सौदा करने के लिए अपने खुद के रिसर्च का इस्तेमाल करें।

जनहित में जारीः

Forward Markets Commission

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामलातों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलात विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
वेबसाइटः www.fcamin.nic.in

यदि आपको कमोडिटी फ्यूचर्स के बारे में कोई भी गुमराह करने वाले सेल्स प्रमोशन गतिविधियों के बारे में पता चलता है तो तुरंत रिपोर्ट करेंः
वायदा बाजार आयोग, एवरेस्ट, तिसरा माला, 100, मरीन ड्राइव, मुंबई-400 002
टेलीः 022 227 953 00 फैक्सः 022-2281 2086 ई-मेलः contact.fmc@nic.in

"मैं वायदा बाजार यानि कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट का एक सजग ट्रेडर हूं"

JAGO GRAHAK JAGO

- **मैं केवल मान्यता प्राप्त कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंजों में ही सौदा करता हूं**

  → कमोडिटी एक्सचेंजों के बाहर होने वाले सौदे गैर-कानूनी होते हैं

- **मैं केवल वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) में पंजीकृत ब्रोकरों-सदस्यों के माध्यम से ही सौदा करता हूं। इनकी सूची एक्सचेंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।**

  → मैं ब्रोकर्स की साख के बारे में जांच करता हूं

- **मैं सौदा करने से पूर्व सुनिश्चित लाभ का झांसा देने वालों के चक्कर में नहीं पड़ता।**

  → सौदा करने से पूर्व मैं खुद कमोडिटीज के बारे में रिसर्च करता हूं
  मैं कांट्रैक्ट की विशेषताओं, उसकी डिलीवरी और सेटलमेंट के बारे में सौदा करने से पहले ही अध्ययन कर लेता हूं

- **मैं अपने सौदों के सारे रिकार्ड जांच कर अपने पास रखता हूं**

  → मैं अपने ब्रोकर से कांट्रैक्ट नोट्स, रसीद और अपने खातों के स्टेटमेंट अवश्य लेता हूं और एक्सचेंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से उनकी जांच करता हूं

- **मैं हमेशा अपने खाते से चेक से भुगतान करता हूं**

  → मैं अपने भुगतान (मार्जिन मनी सहित) चेक से और ब्रोकर के नाम करता हूं व उसकी रसीद भी लेता हूं। उक्त रसीद मैं संभाल कर रखता हूं। मुझे पता है कि एक्सचेंज के पे-आउट से 48 घंटों में मुझे पैसे मिलने चाहिए।

- **मैं अपनी निवेश क्षमता के मुताबिक ही सौदा करता हूं और ज्यादा का जोखिम नहीं लेता**

  → मैं जोखिम उठाने की अपनी क्षमता को जानता हूं और अच्छे लाभ की लालच में क्षमता से बाहर सौदा करने से बचता हूं।

सबसे पहले कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के नियम एवं जोखिमों को समझें और फिर एक्सचेंजों में सौदा करें

जनहित में जारीः

Forward Markets Commission

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामलातों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलात विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
वेबसाइटः www.fcamin.nic.in

यदि आपको कोई भी गैर-कानूनी फ्यूचर्स मार्केट की गतिविधियों का पता चलता है तो तुरंत रिपोर्ट करेंः

वायदा बाजार आयोग, एवरेस्ट, तिसरा माला, 100, मरीन ड्राइव, मुंबई-400 002
टेलीः 022 227 953 00 फैक्सः 022-2281 2086 ई-मेलः contact.fmc@nic.in